रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243901 CG-DL-E-24022023-243901

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] No. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 24 फरवरी 2023

सा.का.नि. 126(अ).—सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 (2021 का 42) की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों को सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियम) संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम 2022 में -
- (क) नियम 18 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थातु: -

"19. भारत के भीतर या बाहर व्यक्तिगत उपयोग के लिए युग्मकों और भ्रूणों का स्थानांतरण -

जो कोई भी अधिनियम की धारा 29 के तहत भारत के भीतर या बाहर व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने युग्मकों और भ्रूणों को स्थानांतरित करने का इरादा रखता है , वह आवेदन करेगा या प्ररूप 16 से 24 में घोषणा प्रस्तुत करेगा, जैसा कि लागू हो और राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

1237 GI/2023 (1)

(ख) अनुसूची 1 को उसकी अनुसूची के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित अनुसूची में, प्ररूप 15 के बाद, निम्नलिखित प्ररूपों को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्ररूप 16

[नियम 19 (i) देखें]

, , ,		2 ~		\ C	`
भारत के भीतर और बाह	ए यामक (शका	ग आर आसादट या ९	गण। के स्थानांतरण	काला	ा आवटन पत्र
<u> </u>	<u> </u>	<u>1 911 / 911/1199 91 1</u>	<u> </u>	11/1/1/	<u>(भागपना नग</u>

1.	आवेदक का नाम:
2.	वैवाहिक स्थिति :(विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा)
3.	पति/पत्नी का नाम (यदि लागू हो)
4.	पता:
5.	संपर्क नं
6.	ईमेल आईडी
7.	आधार संपित/पत्नी(यदि लागू हो)
8.	पासपोर्ट सं पति/पत्नी (यदि लागू हो)
9.	पैन सं (यदि लागू हो)
10.	आवेदक/पति/पत्नी की जन्म तिथि(दिन/महीना/वर्ष)
11.	(भ्रूण / शुक्राणु / ओसाइट्स) का स्थानांतरण
12.	स्थानांतरण: (भारत के भीतर / बाहर)
13.	प्रेषक (चिकित्सक का नाम / क्लिनिक का पता / संपर्क / ईमेल पता):
14.	सेवा में (चिकित्सक का नाम/क्लिनिक का पता/संपर्क/ईमेल पता):
15.	मात्रा वायल्स (शुक्राणु)/ओसाइट्स/भ्रूणों की संख्या)
15 क.	स्थानांतरण का उद्देश्य (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी)
16.	शपथ पत्र निष्पादित: हां / नहीं
17.	युग्मक/भ्रूण रखने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र: हाँ/नहीं
18.	युग्मक/भ्रूण प्राप्त करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र: हाँ/नहीं
19.	सहायक दस्तावेजों की सूची:
20.	आधार की प्रति (हां/नहीं)
21.	पासपोर्ट की प्रति (हां/नहीं) (यदि भारत के बाहर स्थानांतरित किया जाता है)
22.	सामाजिक सुरक्षा संख्या की प्रति (यदि भारतीय मूल का व्यक्ति/विदेशी है)
23 .	आवेदन करने की तिथि

घोषणा

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि ये युग्मक (शुक्राणु/ओसाइट)/भ्रूण हमारे अपने हैं और केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्थानांतरित किए जा रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

पति/पत्नी के हस्ताक्षर (यदि लागू हो)

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

प्ररूप 17

[नियम 19 (ii) देखें]

भारत के बाहर भ्रूण के स्थानांतरण के लिए शपथ पत्र

मैं/हम	और			
निवासी				
आधार संख्या				
(यदि लागू हो) / पासपोर्ट संख्या (व्यक्ति का नाम) मैंने/हमने	(पति) अपने/हमारे	 भ्रूणों को .	(-	(पत्नी)/या तारीख) से
				्क्लिनिक
का नाम और पता) पर क्रायोप्रिजेर्वेशन कर लिया है। और हम मेरे/ को भारत के बाहर के प्रयोजन के लिए (चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन				
पता)				
इन भ्रूणों का र् शुक्राणुओं औरके अंडाणुओं से किया गया है इन भ्रूणों पर कोई लिंग चयन नहीं किया गया है।	नेमोण 			के और
ऊपर अनुरोधित भ्रूणों का हस्तांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगि किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा देश के वर्तमा करने का इरादा रखते हैं, इन भ्रूणों के हस्तांतरण की अनुमति देता है।	न नियामक उ			
हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मकों को बेचना, मानव भ्रूण या उ एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा। घोषणा		क्री, खरीद या	च्यापार के लिए	्र एक
मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।	में प्रविष्टियां	और इसके साः	थ प्रस्तुत अतिरि	क्त विवरण
तारीख:				\neg
स्थान:				
दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर				

विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें

नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 18

[नियम 19 (iii) देखें]

युग्मक (शुक्राणु/ओसाइट) के स्थानांतरण के लिए शपथ पत्र

मैं/हम	और निवासी
आधार संख्या	
(यदि लागू हो	ा) /पासपोर्ट संख्या(पति)
(पत्नी)/या	(व्यक्तिगत) मैंने/हमने अपने/हमारे
(शुक्राणु/ ओसाइट) को ट ै।	(तारीख) से क्रायोप्रिजेर्वेशन कर लिया (क्लिनिक
का नाम और पता) और हम अपना/हमारा	युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) की (संख्या/शीशी)
	प्ती) को (विदेशी एआरटी
क्लिनिक का नाम और पता) स्थानांतरित करना चाहते हैं।	
मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइत	ट) पर एक्स और वाई गुणसूत्रों को अलग नहीं किया गया है।
ऊपर अनुरोधित युग्मकों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जनर्न 42) के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है।	ोय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का
एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा	ण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी, ा ोषणा
मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस श	।पथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण,
यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है	· ·
तारीख:	
स्थान:	
दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर	
	विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं
नोट: जो लागू न हो उसे काट दें	
मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्षविधिवत शपथ लेकर शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित	ाम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी -शपथ पत्र गैर र निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो त किया जाएगा। रूप19
[नियम [/]	19 (iv) देखें]
	हस्तांतरण के लिए शपथ पत्र
••	और निवासी
आधार संख्या	. और(यदि लागू

का नाम और पता) और हम अपने / हमारे
सरोगेसी) के प्रयोजन के लिए
ओसाइट से किया गया है। जिस देश में मैं/हम भ्रूण स्थानांतरित करना चाहते हैं, वहां के वर्तमान विनियामक उपबंध इन भ्रूणों वे स्थानांतरण की अनुमित देते हैं। ऊपर अनुरोधित भ्रूणों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42 के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है। मैं/हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मक बेचना, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा। घोषणा मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। तारीख:
ओसाइट से किया गया है। जिस देश में मैं/हम भ्रूण स्थानांतरित करना चाहते हैं, वहां के वर्तमान विनियामक उपबंध इन भ्रूणों वे स्थानांतरण की अनुमित देते हैं। ऊपर अनुरोधित भ्रूणों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42 के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है। मैं/हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मक बेचना, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा। घोषणा मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। तारीख:
के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है। मैं/हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मक बेचना, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा। घोषणा मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। तारीख: स्थान: दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा। थोषणा मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। तारीख: स्थान: दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। तारीख: स्थान: दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
तारीखः स्थानः दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
स्थान:
विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
नोट: जो लागू न हो उसे काट दें नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकार्र मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है ते शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
प्ररूप 20
[नियम 19 (v) देखें]
<u>भारत के भीतर युग्मक के हस्तांतरण के लिए शपथ पत्र (ओसाइट्स/शुक्राणु)</u>
मैं/हमनिवासीनिवासी
आधार संख्या औ
(यदि लागू हो) / पासपोर्ट संख्या (पति
(पत्नी)/ या (व्यक्तिगत) मैंने/हमने अपने/हमा
(शुक्राणु/ ओसाइट) को (तारीख) से से
(क्लिनिक का नाम और पता) क्रायोप्रिजर्व कर लिया है और हम अपने/हमा
युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) की संख्या/शीशी) को(चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन य
सरोगेसी) के प्रयोजन के लिए में (क्लिनिक का नाम औ पता) (स्थानांतरित करना चाहते हैं।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि युग्मक (शुक्राणु/ ओसाइट) पर एक्स और वाई गुणसूत्रों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया है।

ऊपर अनुरोधित युग्मकों का स्थानांतरण सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में नहीं है।

मैं/हम समझते हैं कि मानव भ्रूण या युग्मक बेचना, मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद या व्यापार के लिए एक एजेंसी, एक रैकेट या एक संगठन चलाना एक दंडनीय अपराध होगा।

घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस शपथ	पत्र में प्रविष्टियां और इसके साथ प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण,
यदि कोई हों, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
तारीख:	
स्थान:	
दम्पति/ व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर	
	विधिवत प्रमाणित फोटो चिपकाएं
नोट: जो लागू न हो उसे काट दें	
नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपोलिटन मजिन् मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष् शपथ पत्र भारत में अधिकृत अटार्नी के माध्यम से निष्पादित किन् प्ररूप 2	प्पादित किया जाएगा। यदि आवेदक भारत से बाहर है तो या जाएगा।
[नियम 19 (vi) देखें]
<u>जमे हुए भ्रूण को रखने वाले</u>	क्लिनिक से शपथ पत्र
यह प्रमाणित किया जाता है कि कि हमारे क्लिनिक प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम / पता और पंजीकरण संख्या) इनिवट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी) श्री / सामाजिक सुरक्षा संख्या) और श्रीमती सुरक्षा संख्या) के(भ्रूण की संख्या) बनाए हैं	ने इस उद्देश्य के लिए (चाहे (आधार संख्या / पासपोर्ट संख्या (आधार संख्या / पासपोर्ट संख्या / सामाजिक
बनाए गए भ्रूणों की कुल संख्या और निर्माण की तिथि:	
उपयोग किए गए भ्रूणों की कुल संख्या:	
शेष भ्रूणों की संख्या:	
भ्रूण का लिंग चयन नहीं किया गया है:	
सहायर	ताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

नोट: शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किए जाएंगे। भारत के बाहर युग्मकों या भ्रूणों के स्थानांतरण के मामले में शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समकक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 22

[नियम 19 (vii) देखें]

[ानयम 19 (VII) दख]
<u>युग्मक धारण करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र (ओसाइट्स/शुक्राणु)</u>
यह प्रमाणित करने के लिए है कि हमारे क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम / पता और पंजीकरण संख्या) ने श्री(आधार संख्या / पासपोर्ट नंबर / सामाजिक सुरक्षा संख्या) के जमे हुए वीर्य नमूने को संग्रहीत किया है। हम श्री(नाम / पता / संपर्क नंबर) के वीर्य नमूने की इन सभी शीशियों को(चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी) के उद्देश्य से स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।
श्री के जमे हुए वीर्य के नमूने को किसी भी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप एक्स या वाई अंश अलग हो गए हैं।
जमे हुए कुल वीर्य की शीशियां और जमाने की तिथि:
उपयोग की गई कुल वीर्य शीशियां:
शेष शीशियों की संख्या
सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर
तारीख:
या
यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे क्लिनिक (सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक का नाम/पता और पंजीकरण संख्या) में सुश्री
पुनर्प्राप्त किए गए ओसाइटओं की कुल संख्या और पुनर्प्राप्ति और जमाने की तारीख:
भ्रूण के निर्माण के लिए प्रयुक्त ओसाइटओं की संख्या:
शेष ओसाइटओं की संख्या:
सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर
तारीख:
नोट: हलफनामे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किए जाएंगे। भारत के बाहर युग्मकों या भ्रूणों के स्थानांतरण के मामले में शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समकक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
<u>प्ररूप 23</u>
[नियम 19 (viii) देखें]

जमे हुए भ्रूण प्राप्त करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र

यह प्रमाणित करने के	लिए है कि हम	ारा क्लिनिक (सह	हायताप्राप्त जननीय	प्रौद्योगिकी कि	लनिक का नाम	/ पता और
पंजीकरण संख्या) श्री		(आधार संख्या /	′ पासपोर्ट नंबर /	सामाजिक सुर	क्षा संख्या) औ	र श्रीमती
	. (नाम, आधार	संख्या / पासपो	र्ट नंबर / सामाजि	क सुरक्षा संख्य	ा) के जमे हुए	भ्रूणों में से

	(संख्या)	प्राप्त	करने	के	लिए	तैयार	है,	जिसका	उपयोग	इस	उद्देश्य	के	लिए	किया	जाना	है
(चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी)।																
							सहा	यताप्राप्त ः	जननीय प्रं	ौद्योगि	गेकी किल	ग निव	क के हर	स्ताक्षर	और मो	हर

तारीख:

नोट: हलफनामे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेकर निष्पादित किए जाएंगे। भारत के बाहर युग्मकों या भ्रूणों के स्थानांतरण के मामले में शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समकक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

प्ररूप 24

[नियम 19 (ix) देखें]

जमे हुए युग्मक प्राप्त करने वाले क्लिनिक से शपथ पत्र

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

या

> सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लिनिक के हस्ताक्षर और मुहर तारीख:

नोट: युग्मक या भ्रूण धारण करने वाले और युग्मक या भ्रूण प्राप्त करने वाले क्लीनिक, दोनों गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ लेंगे। भारत के बाहर युग्मक या भ्रूण के स्थानांतरण के मामले में, शपथ पत्र विदेश में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समकक्ष स्तर की अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

[सं. यू.11019/14/2022-एचआर (भाग-1)]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

नोट: सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, धारा 3, उपधारा (i) में दिनांक 7 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 419 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 771(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो 10 अक्टूबर, 2022 को जारी किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2023

G.S.R 126(E).—In exercise of the powers conferred by clause (z) of sub-section (2) of section 42 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Assisted Reproductive Technology (Regulations) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022, -
- (a) after rule 18, the following rule shall be inserted, namely: -

19. List of supporting documents:

"19. Transfer of gametes and embryos for personal use within or outside India. -

Whoever intends to transfer own gametes and embryos for personal use within or outside India under section 29 of the Act, shall apply or furnish declaration in Forms 16 to 24, as may be applicable and obtain the prior permission of the National Board."

(b) Schedule 1 shall be renumbered as Schedule thereof and in the Schedule as so renumbered, after Form 15, the following forms shall be inserted, namely: -

"Form 16

[see rule 19 (i)]

Application form for transfer of gametes (Sperms and oocyte or embryos) within and outside India

1. Name	of applican	t:									
2. Marita	al Status :				(marrie	d/single	/divo	rced)			
3. Name	of the Spot	ıse (if a	plicable	e)							
4. Addres	ss:										
5. Contac	t no										
6. Email	id										
7. Aadha	r no			Spouse.				(if ap	plicable)		
8. Passpo	rt no			Spouse.				(if app	olicable)		
9. PAN n	o			Spouse				(if app	olicable)		
10. Date	of Birth of a	pplican	t/spouse	e			(DD/	MM/YY)			
11. Trans	fer of			(Embryos	/ Sperm	s/ Oo	cytes)			
12. Trans	fer:			(within /ou	tside Ind	ia)					
13.From			the						contact/	email	address)
14.To	(name	of	the	doctor/	addres	ss o	of 	clinic/	contact/	email	address)
				via							
15 A. Pur	pose of tran	nsfer (w	hether In	vitro Fertiliz	zation or	Surroga	cy)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
16. Affid	avit execute	d: yes /	no								
17. Affid	avit from cl	inic hole	ding gan	netes/embryo	os: yes/ n	Э					
18. Affid	avit from cl	inic rece	eiving ga	metes/embr	yos: yes/	no					

- 20. Copy of Aadhar (Yes/No)
- 21. Copy of Passport (Yes/No) (If transfer outside India)
- 22. Copy of Social Security Number (If Person of Indian Origin/ Foreigner)
- 23. Date of applying

Declaration

I/ we hereby declare that these gametes (sperm/ oocyte)/embryos are our own and are being transferred for personal use only.

Signature of Applicant

Signature of Spouse (if applicable)

Note: Strike off what is not applicable

Form 17

[See rule 19 (ii)]

Affidavit for transfer of embryos outside India

I/weand	lResident	oi
	an plicable) /Passport no	nd
our(number of embryos) outside In		
These embryos have been created using sperms of	and oocyte	of
performed on these embryos.	and no sex selection has been	J11
The transfer of embryos requested above is not in contravention. Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021). Also the I/Weintend to transfer the embryos permits the transfer of these	e present regulatory provisions of the country whe	
I/We understand that selling human embryos or gametes, repurchasing or trading in human embryos or gametes shall be a		g
DECLARA	TION	
I/ we hereby declare that the entries in this affinerewith are true to the best of my knowledge and belief.	davit and the additional particulars, if any, furnished	эd
Date:		
Place:		
Name and Signature of couple		
/ Individual		

Paste duly attested Photo

Note: Strike off which is not applicable

*Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India.

Form 18

[See rule 19 (iii)]

	Affidavit for	transfer of gar	metes (sperm	(oocvte)	outside l	Indi
--	---------------	-----------------	--------------	----------	-----------	------

		and		Resident	of
	Aadhar	No			and
(Husband)	(Wife)/or		(Individual). I/W	e have cryopreserved	my/ our
	(sperm/oocyte) since				
our	(number/vial) of ga	ametes(sperm/oocyte)	to		
	and address of the Fore				
	hat no congration of V and				
·	hat no separation of X and				
	s requested above is not in n) Act, 2021 (42 of 2021)		y of the provisior	is of the Assisted Repr	oductive
	selling human embryos o n human embryos or game			or an organisation fo	r selling,
		DECLARATION			
	y declare that the entrie best of my knowledge an		nd the additional	particulars, if any, i	furnished
Date:					
Place:					
Name and Signature of	Husband & wife				
/ Individual					
		Pas	ste duly attested I	Photo	
Note: Strike off which i	s not applicable				
Magistrate or a Judio	t shall be executed on cial Magistrate of First (dia then the Affidavit sh	Class or an Executiv	e Magistrate or	a Notary Public. In	case the
		Form 19		•	
		[See rule 19 (iv)]			
	Affidavit for	transfer of embryos	within India		
I/we		and		Resident	of
	Aadhar	No			and
	(Wife)/or				
embryos since		(date) at			
	(number of embry			c) and we wish to tran	ısfer my/

12	THE GAZETTI	E OF INDIA	: EXTRA	ORDINAI	RY	[PAR	г II—Sec	. 3(i)]
(name an	d address of the c	linic) for the						
	These	embryos	have	been and	created	using oocy	sperms te	of of
performed on these embryos permits the transf	yos. The present r	egulatory pr						
The transfer of embryos re Technology (Regulation)			ention to	any of the	provisions o	f the Assiste	d Reprod	uctive
I/We understand that sell purchasing or trading in he						an organisat	ion for se	elling,
		DECLA	RATION	I				
I/ we hereby a herewith are true to the be	declare that the en st of my knowledge		affidavit	and the a	dditional pa	rticulars, if	any, furr	nished
Date:								
Place:								
Name and Signature of co	uple							
/ Individual								
				Paste d	luly attested	Photo		
Note: Strike off which is n	* *							
*Note: The Affidavit shal Judicial Magistrate of First then the Affidavit shall be	st Class or an Execu	utive Magistr	ate or a N	otary Publ				
		For	rm 20					
		[See ru	le 19 (v)]					
	Affidavit for trans	sfer of gamet	tes (sperm	s/oocytes	within Indi	<u>ia</u>		
I/we		and		l	Resident of .			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Aadhar	NO)					and

I/we	and		Resident of	
	. Aadhar	No(if applicable)	/Passport no	and
	(sperms/oocytes) since	(date)(name and add	ndividual). I/We have cryopreserv atress of the clinic) and we wish to t	ransfer my
			gametes(sperm/oocyte))	
(name and address	of the clinic) for the	purpose of (Wh	nether Invitro Fertilization or	Surrogacy)

I /We also certify that that no separation of X and Y chromosomes has been done on the gamete (sperm/oocyte).

The transfer of gametes requested above is not in contravention to any of the provisions of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021).

I/We understand that selling human embryos or gametes, run an agency, a racket or an organisation for selling, purchasing or trading in human embryos or gametes shall be a punishable offence.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण	13
--	----

DECLARATION

Date:	I/ we hereby declare that the entries in this affidavit and the additional particulars, if any, furnished herewith are true to the best of my knowledge and belief.
Place:	Date:
Name and Signature of couple / Individual Paste duly attested Photo Note: Strike off which is not applicable *Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India. Form 21 [See rule 19 (vi)] Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	Place:
Paste duly attested Photo Note: Strike off which is not applicable *Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly swom before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India. Form 21 [See rule 19 (vi)] Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	
*Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India. Form 21 [See rule 19 (vi)] Affidavit from the clinic holding the frozen embrvos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	/ Individual
*Note: Strike off which is not applicable *Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India. Form 21 [See rule 19 (vi)] Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	Paste duly attested Photo
*Note: The Affidavit shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India. Form 21 [See rule 19 (vi)] Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	
Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India then the Affidavit shall be executed through an authorized Attorney in India. Form 21 [See rule 19 (vi)] Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	**
Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case the applicant is outside India
Affidavit from the clinic holding the frozen embryos This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	Form 21
This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has created	[See rule 19 (vi)]
Clinic) has created	Affidavit from the clinic holding the frozen embryos
Total number of embryos used: Number of remaining embryos: The embryos have not been subjected to sex selection: Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic Date: *Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Clinic) has created
Number of remaining embryos: The embryos have not been subjected to sex selection: Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic Date: *Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Total number of embryos created and date of creation:
The embryos have not been subjected to sex selection: Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic Date: *Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Total number of embryos used:
Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic Date: *Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Number of remaining embryos:
*Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	The embryos have not been subjected to sex selection:
*Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic
Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. Form 22 [See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Date:
[See rule 19 (vii)] Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan
Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes) This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Form 22
This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	[See rule 19 (vii)]
Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr	Affidavit from clinic holding gametes (Sperms /oocytes)
X or Y fractions. Total semen vials frozen and date of freezing: Total semen vials used:	Clinic) has stored the frozen semen sample of Mr
Total semen vials used:	
Total semen vials used:	Total semen vials frozen and date of freezing:
Number of remaining vials	Total semen vials used:
Transcript Stranscript Stransc	Number of remaining vials
Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic	Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic
Date:	
OR	

This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology

Clinic) has (number) of oocytes from Ms
(Whether Invitro Fertilization or Surrogacy)
Total Number of oocytes retrieved and date of retrieval and freezing:
Number of oocytes used for creation of embryos:
Number of remaining oocytes:
Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic
Date:
*Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the Affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public.
Form 23
[See rule 19 (viii)]
Affidavit from clinic receiving the frozen embryos
This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) is willing to receive
Signature and stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic
Date:
*Note: The Affidavits shall be executed on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India the Affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public.
Form 24
[See rule 19 (ix)]
Affidavit from clinic receiving the frozen gametes
This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) is willing to receivenumber of vials of the frozen semen sample of Mr(Aadhaar Number /Passport number/ Social Security Number). The frozen semen sample will not been subjected to any procedure resulting in separation of X or Y fractions. The semen will be used for the treatment of Ms
Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic
Date:
OR
This is to certify that our clinic (Name/ Address and Registration Number of the Assisted Reproductive Technology Clinic) is willing to receivenumber of frozen oocytes of Ms(Aadhaar Number / Passport number/ Social Security Number). The oocytes will be used for the treatment of Ms
Mr
Signature and Stamp of the Assisted Reproductive Technology Clinic
Date:

*Note: The clinics holding the gametes or embryos and receiving the gametes or embryos, both shall execute Affidavits on Non-Judicial Stamp paper duly sworn before Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15

Class or an Executive Magistrate or a Notary Public. In case of transfer of gametes or embryos outside India, the Affidavit shall be executed through a court abroad of level equivalent to Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class or an Executive Magistrate or a Notary Public."

[No. U.11019/14/2022-HR (Part-I)]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Note : The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R.419 (E), dated the 7th June, 2022 and subsequently amended vide notification number G.S.R.771 (E), dated the 10th October, 2022